न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्र0क0 772–तीन/2015 विरूध्द आदेश दिनांक 02–3–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी जिला शिवपुरी म0प्र0 प्रकरण् कमांक 91/2013–14/अपील.

श्रीमती सुशील पत्नी श्री हरचरण रावत
निवासी ग्राम रामाबाई, ग्राम बसई परगना
जिला शिवपुरी म0प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

1. श्रीमती मीना पत्नी श्री ब्रजेश
2. ब्रजेश पुत्र श्री भेरोलाल माथुर
   निवासीगण गोतम बिहार कौलानी
   शिवपुरी म0प्र0
3. भीकमसिंह पुत्र श्री हयाल सिंह रावत
   निवासी बरोदा तहसील व जिला शिवपुरी (म0प्र0)

—— अनावेदकगण

– – –

श्री ब्रजेन्द्र सिंह धाकड़, अभिभाषक– आवेदक
श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक – अनावेदकगण

– – –

:: आदेश पारित ::

– – –

(आज दिनांक 6 फरवरी 2016 को पारित)

– – –

यह निगरानी आवेदक व्दारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी जिला शिवपुरी के आदेश दिनांक 02–3–2015 से अन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि ग्राम रामाबसई स्थित भूमि सर्वे कमांक 177 रकबा 0.93 हे0 एवं सर्वे कमांक 178 रकबा 0.37 हे0 आवेदिका सुशीला पत्नी श्री हरचरण के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि होकर राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी हैसियत से दर्ज है जिस पर वह काबिज होकर खेती करते आ रहे हैं। आवेदिका को अपने स्वामित्व की भूमि पर लोन लेने हेतु किसान केडिट कार्ड (के0सी0सी0) बनावाने एवं लोन दिलवाने की कार्यवाहियों को करने के लिये लोक दलाल अनावेदक ब्रजेश पुत्र भेरोलाल माथुर से सम्पर्क किया और उसके कहने पर सारे दस्तावेज बनाने हेतु मुख्त्यारआम उसके नाम सम्पादित करा लिया ताकि वह लोन संबंधी समस्त कार्यवाही मेरे हित में सम्पादित कर सके। अनावेदक ब्रजेश माथुर द्वारा धोके से मुख्त्यारआम का दुरूपयोग करते हुये अपनी पत्नी श्रीमती मीना माथुर के नाम मेरे स्वामित्व की भूमि को मेरी बिना सहमति के विकय कर दी। जबकि मेरे द्वारा किसी प्रकार विकय पत्र की अनुमति नहीं दी थी। अनावेदक द्वारा आवेदिका को धोखे में रखकर विधि विरूद्ध कार्य कर मेरे स्वामित्व की भूमि अपनी पत्नी को विकय कर दी है। यह भी तर्क दिया कि आवेदिका के विरूद्ध धारा 250 की कार्यवाही अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रारंभ कर दी तब आवेदिका को जानकारी होने पर तहसीलदार के समक्ष अपत्ति प्रस्तुत करने पर तहसीलदार ने अनावेदक का धारा 250 का आवेदन आदेश दिनांक 30–4–14 के द्वारा खारिज किया गया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 02–3–15 के द्वारा अपील स्वीकार करते हुये प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में त्रुटि की है जबकि धारा 49(3) म0प्र0 भू–राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2011 में हुये संशोधन अनुसार प्रथम अपीलीय न्यायालय को प्रकरण प्रत्यावर्तित करने की अधिकार नहीं हैं। तर्क में यह भी कहा कि सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 की धारा 53(2) के अनुसार स्थावन सम्पत्ति का ऐसा अन्तरण जो पाश्चिक अन्तरिती को कपट वंचित

करने के आशय से प्रतिफल के बिना किया गया है ऐसे अन्तरिती के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा। इसके अतिरिक्त इस विकय विलेख में किसी प्रकार का प्रतिफल दिया जाना सिद्ध नहीं किया गया है जिसके कारण नामांतरण आदेश नहीं दिया जा सकता है। अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अवैधानिक आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार की जाये।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि आवेदिका ने अनावेदक कमांक 2 के पक्ष में मुख्त्यानामा निष्पादित किया था जिसमें अनावेदक कमांक 2 को विकय करने के लिए अधिकृत किया गया था। यह भी तर्क दिया कि आवेदिका को भूमि का विकीफल 2 लाख रूपये प्राप्त हो गये हैं। इसके पश्चात अनावेदक कमांक 1 ने उक्त भूमि अनावेदक कमांक 3 को विकय कर दी है। तर्क में यह भी कहा कि अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार को जांच हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है जहां साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का मौका आवेदिका को है। इसके अतिरिक्त आवेदिका को मुख्त्यारनामा को निरस्त कराने हेतु व्यवहार न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए था, परन्तु आवेदिका द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदिका की सहमति से ही विकय पत्र निष्पादित हुआ है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। आवेदिका की ओर से तर्कों के समय अथवा निगरानी याचिका के साथ अनावेदक द्वारा धोखे से मुख्त्यारनामा ले कर विकय पत्र आवेदिका की भूमि विकय करने के सम्बन्ध में मुख्तयरनामा या विकय पत्र निरस्त करने के सम्बन्ध में व्यवहार न्यायालय में किसी प्रकार के वाद दायर करने सम्बन्धी कोई जानकारी नहीं दी। जहां तक अनुविभागीय अधिकारी के विचाराधीन आदेश का प्रश्न हैं अनुविभागीय अधिकारी ने अपील निरस्त कर तहसीलदार को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देकर संहिता की धारा 109 सहपठित धारा 110 के आज्ञापक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये विधिसम्मत

आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया है। उक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश निरस्त करना उचित है परन्तु प्रार्थी अभिभाषक का यह तर्क भी उचित है कि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 44 में संशोधन के उपरान्त अपील में प्रकरण प्रत्यावर्तित नहीं करना चाहिए। अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये अनुविभागीयअ अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी स्वयं उभय पक्ष के आवश्यक साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देकर गुण–दोषों के आधार पर प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण करें।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, म0प्र0,
ग्वालियर